राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फैडरेशन लि0(स्पिनफैड)
प्रधान कार्यालय, नेहरू सहकार भवन, भवानीसिंह रोड, जयपुर।

क्र:–एफ.1(559)/स्पिनफैड/स्था/2017–18/ दिनांकः 13.12.2017

सूचना

स्पिनफैड के सम्बन्ध में जारी मंत्रिमण्डल आज्ञा सं. 131/2016 दिनांक 21.11.2016 द्वारा लिये गये निर्णयानुसार इस फैडरेशन की सभी इकाईयों यथा गुलाबपुरा, गंगापुर एवं हनुमानगढ को दिनांक 22.7.2017 से विधिक रूप से बंद(क्लोजर) कर दिया गया है। तदनुसार स्पिनफैड के अवसायन हेतु रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां राजस्थान द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम,2001 की धारा 61 सहपठित 63 के अन्तर्गत आदेश क्रमांक फा. 94(25)सविरा/नियम/92 दिनांक 28.11.2017 से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवसायक नियुक्त किया गया है।

राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 81(3) के तहत यह नोटिस जारी करते हुए अपेक्षा की जाती है कि राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स फैडरेशन लि.(स्पिनफैड) के विरूद्ध यदि किसी का क्लेम(दावा) हो, तो विवरण सहित इस सूचना प्रकाशन के दो माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करे। इस फैडरेशन की लेखा पुस्तकों में अभिलिखित समस्त दायित्वों को स्वयंमेव ही इस खण्ड के अधीन उसे सम्यक रूप से प्रस्तुत किया गया समझा जायेगा।

(डा. वीना प्रधान)
अवसायक